सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 244/2023
वाद पत्र अं0 धारा 53 आर.टी.ए.

1. इन्द्राज पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गीतादेवी पत्नी इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सावित्री देवी पत्नी हरिराम जाति कुम्हार निवासी 4 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर राज
4. भूपेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल जाति कुम्हार निवासी 1 डी साधुवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर –वादीगण

बनाम्

1. कुलवीर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
2. गुरदीप सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज –प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री नवरत्न स्वामी –वकील वादीगण
2. श्री जिनेद्र कुमार बाथम –वकील प्रति 1 व 2

दिनांक :– 26.07.2023

निर्णय

वादीगण इन्द्राज वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन के तहत दिनांक 02–06–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक मे अकित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सयुक्त खाता चक न 20 ए.एम.पी खाता स 17/14 व खाता स 83/47 के खातेदार काश्तकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस मे अच्छी मन्दी अनुसार भूमि एकीकरण करने हेतू घरू तोर पर बटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बटवारा वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त मे निम्न भूमि आई है–

वादी न 1 इन्द्राज पुत्र पृथ्वीराज के हिस्सा व क्ब्जाकाश्त मे आई भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83/47	118/158	21	19–20–21–22/1.012है
	17/14	118/158	21	23/0.253है,24/0.1705है

कुल–1.4355है नहरी कृषि भूमि

वादी न 2 गीतादेवी पत्नी इन्द्राज के हिस्सा व कब्जाकाश्त मे आई भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83/47	118/158	21	11–12/0.506है
	17/14	118/158	21	13–14–17–18/1.012है

कुल–1.518है

वादी न 3 सवित्री देवी पत्नी हरिराम के हिस्सा व कब्जाकाश्त मे आई भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83/47	118/158	21	1–2–9–10/1.012है
	17/14	118/158	21	7/1/0.228है,8/0.253है

कुल–1.493है नहरी कृषि भूमि

वादी न 4 भूपेन्द्र पुत्र अमीलाल के हिस्सा व कब्जाकाश्त मे आई कृषि भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83/47	118/157	20	11/0.126 है, 12/0.127है
				19–20–21–22/1.012है

कुल–1.265है नहरी कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कि वादीगण ने घरू बंटवारा के मुताबिक अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काफी पेसे खर्च कर श्रम कर भूमि सुधार किया है व उसे काश्तक करने योग्य बनाया है जिसका वादीगण खाता

तकसीम करवा कर रकम राज अलग कायम करवाने के मुस्तहक व दावेदार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक घरू बंटवारा व मोका की कब्जा काश्त के अनुसार अपना अपना खाता अलग कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एव अन्त मे पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। कि वादीगण एव प्रतिवादीगण का आपस मे सींव बट एव रकम राज का सदैव ही झगडा बना रहता है यदि कब्जा काश्त मुताबिक खाता तकसीम नही किया गया तो वादीगण को कभी पुरा न होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन मे न हो सकेगी कि प्रतिवादीगण न 1 ता 2 को सयुक्त खातो मे खातेदार काश्तकार व प्रतिवादी न 3 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है इनसे किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है। कि दावा दो रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो की काबिल समायत अदालत वाला है व अदर मियाद है लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण स 3 के मुताबिक खाता तकसीम कर रकम राज अलग कयाम करने के आदेश फरमावे ।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जारिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया ।दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वादी स 1 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम की जावे । अधिवक्ता प्रतिवादी स 1 व 2 ने कथन किया कि प्रतिवादी स 1 खाता काउन्टर क्लैम की चरण स 9 के अनुसार खाता तक्सीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण वकील कथन का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। इसलिए वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी स 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी स 1 व 2 उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किया जाता है। व प्रतिवादी स 1 खाता काउन्टर क्लैम की चरण स 9 के अनुसार खाता तक्सीम कर रकम राज अलग कायम किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/7/2013 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/13

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

(अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 244 / 2023

वाद पत्र अं.धारा :– 53 आर.टी.ए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. इन्द्राज पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी 12 एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गीतादेवी पत्नी इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी 12एम.जे.डी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सावित्री देवी पत्नी हरिराम जाति कुम्हार निवासी 4 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर राज
4. भूपेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल जाति कुम्हार निवासी 1 डी साधुवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर

–**वादीगण**

बनाम्

1. कुलवीर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
2. गुरदीप सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–**प्रतिवादीगण**

दिनांक :–26 / 07 / 2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी राजस्व संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नवरतन स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री जिनेद्र कुमार बाथम वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किया जाता है। व प्रतिवादी स 1 खाता काउन्टर क्लैम की चरण स 9 के अनुसार खाता तक्सीम कर रकम राज अलग कायम किया जाता है। वाद पत्र की चरण सख्या 3 व काउन्टर क्लेम की चरण स 9 निम्न प्रकार है।

(क) वादी न 1 इन्द्राज पुत्र पृथ्वीराज के हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83 / 47	118 / 158	21	19–20–21–22 / 1.012है
	17 / 14	118 / 158	21	23 / 0.253है,24 / 0.1705है

कुल–1.4355है नहरी कृषि भूमि

(ख) वादी न 2 गीतादेवी पत्नी इन्द्राज के हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83 / 47	118 / 158	21	11–12 / 0.506है
	17 / 14	118 / 158	21	13–14–17–18 / 1.012है

कुल–1.518है नहरी कृषि भूमि

(ग) वादी न 3 सवित्री देवी पत्नी हरिराम के हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83 / 47	118 / 158	21	1–2–9–10 / 1.012है
	17 / 14	118 / 158	21	7 / 1 / 0.228है,8 / 0.253है

कुल–1.493है नहरी कृषि भूमि

(घ) वादी न 4 भूपेन्द्र पुत्र अमीलाल के हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83/47	118/157	20	11/0.126 है, 12/0.127है 19–20–21–22/1.012है

कुल–1.265है नहरी कृषि भूमि

(च) **प्रतिवादी स 1** कुलवीर सिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह के हिस्सा व कब्जाकाश्त की भूमि

चक न	खाता स	प.न	मु.न	कि.न
20 ए.एम.पी	83/47	118/157	20	9–10/0.506है, 11/0.127है, उत्तरी दिशा 12/0.126है उत्तरी दिशा

कुल–0.759है नहरी कृषि भूमि

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निज......X.नल..........X.....मुब्लिक.......X...निल..............X....बाबत.......X...निल...........X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....X.......अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26..../...07..../2023. जारी किया गया।

26/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया